भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 387

(जिसका उत्तर 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

बैंक एनपीए

387. श्री सुशील कुमार सिंहः
श्री गोपाल शेट्टीः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विभिन्न बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों और इसमें शीर्ष कॉर्पोरेट घरानों/कंपनियों की हिस्सेदारी का कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया गया है या शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए लगभग 4 लाख करोड़ रुपये है जो भारत में बैंकों के कुल एनपीए का 90 प्रतिशत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में, विशेषकर बिहार राज्य में एनपीए वसूल करने और घटाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के घरेलू परिचालन संबंधी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 18,19,074 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 52,15,920 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी हैं। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्रों के लिए वर्ष 2015 में शुरु की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा तदनंतर पीएसबी द्वारा पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों पर अनुमानित हानियों, जिनके लिए पूर्व में पुनर्संरचित ऋणों के अंतर्गत प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अतिरिक्त, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में इस पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप प्रमुखतया घरेलू परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार पीएसबी का सकल एनपीए 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 2,79,016 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2018 को 8,95,601 करोड़ रुपए हो गया है और पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण तथा सुधार के 4आर, कार्यनीति के परिणामस्वरूप तब से एनपीए 89,189 करोड़ रुपये तक कम होकर दिनांक 31.3.2019 को 8,06,412 करोड़ रुपये हो गया है (अनंतिम आंकड़ा) ।

आरबीआई के द्वारा अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के भाग के रूप में नियमित रूप से अनर्जक आस्ति (एनपीए) से संबंधित आंकड़ा प्रकाशित किया जाता है। कारपोरेट घरानों/कंपनियों के संबंध में आरबीआई के द्वारा एनपीए के आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाता है। आरबीआई आंकड़ों के अनुसार घरेलू परिचालनों में औद्योगिक श्रेणी के अग्रिमों हेतु सकल एनपीए (जीएनपीए) तथा वैश्विक परिचालनों में कुल जीएनपीए का सरकारी क्षेत्र के बैंक-वार (पीएसबी) विवरण अनुबंध में है।

दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के वैश्विक परिचालनों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार पीएसबी तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल एनपीए की कुल राशि क्रमश: 8,06,412 करोड़ रुपये तथा 9,49,279 करोड़ रुपये थी।

विगत चार वर्षों के दौरान, सरकार ने उत्तरदायी एवं स्वच्छ प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी रूप से एनपीए की पहचान करने, दबावग्रस्त खातों का समाधान करने तथा इसकी मूल्य की वसूली करने, पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण करने, बैंकों तथा वित्तीय परिस्थिति में सुधार करने के लिए 4आर कार्यनीति के अंतर्गत विस्तृत कदम उठाए हैं।

पीएसबी के अनर्जक आस्तियों के समाधान को तुरंत एवं सक्षम बनाने के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं :-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) का अधिनियमन किया गया है, जिसमें कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होते ही कार्पोरेट उधारकर्ता के कार्यों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की व्यवस्था है। इरादतन चूककर्ताओं और एनपीए खातों के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को समाधान प्रक्रिया से प्रतिबंधित करके उधारदाता-उधारकर्ता संबंध में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। आईबीसी के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु आरबीआई को प्राधिकार देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित किया गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में उपर्युक्त संशोधित उपबंध के अंतर्गत आरबीआई के निदेशों के अनुसार बैंकों ने आरबीआई - विनिर्दिष्ट उधारकर्ताओं के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष आईबीसी के अंतर्गत मामले दायर किए हैं।

(2) अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम को संशोधित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा उधारदाता द्वारा बंधक रखी संपत्ति पर 30 दिन के भीतर कब्जा प्राप्त करने का प्रावधान है। साथ ही, वसूली में तेजी लाने के लिए छह नये ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई है।

(3) पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत, पीएसबी ने वसूली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल का सृजन किया है, उच्च लागत वाले ऋणों में निगरानी को स्वीकृति भूमिकाओं से अलग किया है, स्वच्छ और प्रभावी निगरानी हेतु 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण खातों की निगरानी विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों को सौंप दी गई है तथा समयबद्ध और बेहतर वसूली के लिए ऑनलाइन संपूर्ण एकबारगी निपटान प्लेटफार्मों का सृजन किया गया है।

वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों (मार्च,2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अनंतिम आंकड़ा) के अनुसार उपर्युक्त कदमों के फलस्वरूप पीएसबी के सकल एनपीए जो मार्च, 2018 में 8,95,601 करोड़ रुपये के शीर्ष पर था से कम होकर मार्च,2019 में 8,06,412 करोड़ रुपये (अनंतिम आंकड़ा) हो गया है। विगत चार वित्तीय वर्ष के दौरान पीएसबी ने वर्ष 2018-19 के दौरान की गई 1,23,156 करोड़ रुपये की रिकार्ड वसूली सहित 3,59,496 करोड़ रुपये की वसूली की है।

टिप्पणी : पीएसबी के संबंध में उपर्युक्त आंकड़ों में आईडीबीआई बैंक लि., जिसे आरबीआई के द्वारा दिनांक 21.1.2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया था से संबंधित आंकड़े भी शामिल हैं

***

अनुबंध

सरकारी क्षेत्र के बैंक के संबंध में घरेलू परिचालनों में औद्योगिक श्रेणी अग्रिमों हेतु सकल एनपीए (जीएनपीए) तथा वैश्विक परिचालनों में कुल जीएनपीए का विवरण

बैंक	औद्योगिक श्रेणी हेतु जीएनपीए * (दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार)	कुल जीएनपीए * (दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार)	* परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पूर्व में पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अलावा, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। मुख्यत: दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में इस पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का सकल एनपीए बढ़ गया। वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, सरकार की 4आर कार्यनीति से सशक्त होकर पीएसबी ने पिछले चार वित्तीय वर्ष में 3.59 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है, जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान 1.23 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली शामिल है और प्रावधान कवरेज अनुपात मार्च 2015 के 46 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2019 में 74.2 प्रतिशत हो गया है।
[illegible]	20,413	28,578	
[illegible]	24,295	28,380	
[illegible]	27,374	53,383	
[illegible]	29,164	59,117	
[illegible]	7,692	15,324	
[illegible]	23,800	38,003	
[illegible]	21,493	33,567	
[illegible]	13,615	23,630	
[illegible]	8,008	12,242	
[illegible]	9,980	13,437	

[illegible]	23,353	35,139	
[illegible]	13,762	23,952	
[illegible]	4,145	8,046	
[illegible]	45,695	78,031	
[illegible]	8,929	24,675	
[illegible]	20,697	29,888	
[illegible]	27,321	49,995	
[illegible]	9,087	11,673	
[illegible]	5,225	8,088	
[illegible]	1,28,921	1,76,342	

स्रोतआरबीआई